

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./92/2010/3061


भोपाल, दिनांक 15/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के बिन्दु क्रमांक-5 में निहित निर्देशों के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित उच्च श्रेणी शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम एवं संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान पदांकित जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती एस.ज्योति राज, उ.श्रे.शि. शा. उत्कृ. उ.मा.वि. ब्यावरा	311992	राजगढ़	311992	भोपाल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


निरंतर...2...

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./92/2010/3062
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/2010

1. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्र. 1054 दिनांक 17.05.2010 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला-राजगढ़ एवं भोपाल म.प्र.।
 5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- भोपाल मध्यप्रदेश।
 6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- राजगढ़ एवं भोपाल म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सहायक संचालक, समन्वय(स्थानीय) की ओर क्रमांक 815 दि. 20.05.2010 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



जोयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./92/2010/3063

भोपाल, दिनांक 06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के बिन्दु क्रमांक-5 में निहित निर्देशों के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित उच्च श्रेणी शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम एवं संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान पदांकित जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कीर्ति पाठक, उ.श्रे.शि. शा.महात्मा गांधी उ.मा.वि. हरदा	AL-4991	हरदा	23360177703	भोपाल

- उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


निरंतर...2...

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./92/2010/3064
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/06/2010

1. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्र. 867 दिनांक 28.04.2010 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला-हरदा एवं भोपाल म.प्र.।
 5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- भोपाल मध्यप्रदेश।
 6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- हरदा एवं भोपाल म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सहायक संचालक, समन्वय(स्थानीय) की ओर क्रमांक 712 दि. 11.05.2010 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के बिन्दु क्रमांक-5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित उच्च श्रेणी शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री हवललाल बघेल, उ.श्रे.शि.,	AO 4070	शास.उ.मा.वि.सिहाड़ा जिला खंडवा	23290777703	इंदौर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

“प्रशासकीय अनुमोदन” उपरांत जारी”




लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरं 2...

पृ. क्रमांक स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./ /2010/3082
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 26/2010

1. निज सचिव, मान.मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 29 दिनांक 07-06-10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 4. कलेक्टर,जिला-खंडवा एवं इंदौर म.प्र.।
 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-खंडवा एवं इंदौर म.प्र.।
 6. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।
 7. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला- -खंडवा एवं इंदौर म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 8.. सहायक संचालक,समन्वय(स्थानीय) की ओर पंजीयन क्रमांक सम./918 दि.07-06-10के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./71/2010/4001
आदेश/

भोपाल,दिनांक/9/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती विभूति परांजपे, सहायक शिक्षक	AB-5228	शा.प्रा.शाला गोरखपुर, जिला जबलपुर	23390224103	भोपाल

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।


5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्य मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरंतर...2...

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समाप्ति में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।




आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

सू. क्रमांक स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./71/2010/4002 भोपाल, दिनांक 15/06/2010
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मानमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1037/मं./स्कू.शि. दि. 15.05.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-जबलपुर एवं भोपाल म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- जबलपुर एवं भोपाल म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- जबलपुर एवं भोपाल मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जबलपुर एवं भोपाल म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./04/2010/4005
/आदेश/

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किय जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मोतीचंद जैन, उ.श्रे.शि.	AS 1444	शा.पू.मा.क.शा.गोटेगांव (श्रीधाम) जिला नरसिंहपुर	23400325902	जबलपुर
2.	श्री रविन्द्र कुमार बिदुआ, सहायक शिक्षक	अप्राप्त	शा.प्रा.वि.संदला वि.खं.बदनावर जिला धार	अप्राप्त	टीकमगढ़

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



अधिकृत

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./04/2010/4006 भोपाल,दिनांक 15/06/2010
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 42/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर,जिला-नरसिंहपुर, जबलपुर, धार एवं टीकमगढ़ म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- नरसिंहपुर, जबलपुर, धार एवं टीकमगढ़ म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- जबलपुर, इंदौर एवं सागर मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- नरसिंहपुर, जबलपुर, धार एवं टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./04/2010/4007
/आदेश/

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस. कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेश्वरी सिंह, सहायक शिक्षक	BH 7805	शा.प्रा.वि.ढोडार संकुल शा.उ.मा. वि.तिखवा ब्यौहारी जिला शहडोल	23110303002	रीवा
2.	श्री सोमेश्वर प्रसाद मिश्र, सहायक शिक्षक (विज्ञान)	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि.धुलधुली जिला उमरिया	अप्राप्त	रीवा
3.	श्री मन्जूर एहमद नागोरी, सहायक शिक्षक	BE 3075	शा.उर्दू प्रा.वि.क्र.-1 महिदपुर जिला उज्जैन	2321060BS02	देवास
4.	श्री सतीश कुमार भार्गव, सहायक शिक्षक,	BB 3788	शा.प्रा.वि.सिकंदरपुर जिला शिवपुरी	23060809301	ग्वालियर
5.	श्री यशवंत कुमार जैन, प्र.अ	AS 6191	शा.मा.वि.खड़ावदा तहसील मनासा जिला नीमच	23180505303	मंदसौर
6.	श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी, प्र.अ.	AF 7273	शा.हाईस्कूल रगौली वि.ख. विजावर जिला छतरपुर	23090305001	टीकमगढ़
7.	श्री मनोज कुमार व्यास, सहायक शिक्षक,	BH 3706	शा.मा.वि.सिंगावदा जिला देवास	23230106604	भोपाल
8.	श्रीमती डेजी चौधरी, सहायक शिक्षिका	अप्राप्त	शा.प्राथ.वि.दाल बाजार क्र.2 लखर जिला ग्वालियर	अप्राप्त	देवास

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./04/2010/4008
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एक्ल नस्ती क्रमांक 42/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-शहडोल, रीवा, उमरिया, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल एवं देवास म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-शहडोल, रीवा, उमरिया, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल एवं देवास म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, भोपाल एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शहडोल, रीवा, उमरिया, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल एवं देवास म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./104/2010/4009

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के विन्दु क्रमांक-5 में निहित निर्देशों के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित प्र.अ./उच्च श्रेणी/सहा.शि. शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम एवं संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान पदांकित जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, सहायक शिक्षक, शा.प्रा.वि.छावनी, संकुल केन्द्र शा.हाईस्कूल कनारदी	BE 5429	उज्जैन	23210519601	इंदौर
2	श्री रजनीश कुमार चतुर्वेदी, प्रधानाध्यापक, शास.मा.शा.खम्हरिया	AN 6540	कटनी	23380616201	उमरिया
3	श्री पुष्पेन्द्र रावल, सहा.शिक्षक, शा.प्रा. वि.पीलीमिही, बडवाह	AO 5891	खरगोन	23271326501	इंदौर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले को वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुरस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कृ.पू.उ.

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./104/2010/4010 भोपाल, दिनांक 15/06/2010
प्रतिज्ञेपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर की ओर अनुमोदन टीप क्रमांक 33 दिनांक 15.06.2010 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-उज्जैन, कटनी, खरगौन, विदिशा, इंदौर, उमरिया, एवं सीहोर म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उज्जैन, कटनी, खरगौन, विदिशा, इंदौर, उमरिया, एवं सीहोर म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सहायक संचालक, समन्वय(स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आधिकृत
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./99/2010/4011

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती उपासना नेमा, उ.श्रे.शि. (विज्ञान)	AX 8399	शास.हाईस्कूल गोपालगंज, सागर जिला सागर	23111066601	इंदौर
2.	श्रीमती करुणा दुबे, प्रधानाध्यापक	AZ 2678	शा.क.उर्दू मा.शा.सिवनी जिला सिवनी	23440100505	जबलपुर
3.	श्री मदनलाल सोनी, प्रधानाध्यापक	AX 5815	शास.प्रा.शा.पडारसोई वि.खं. राहतगढ़ जिला सागर	23110809902	छतरपुर
4.	श्री संजय कुमार अग्रवाल, प्रधानाध्यापक	AN 8076	शास.क.मा.शा.विजयराघ गढ़, जिला कटनी	23380514101	हरदा
5.	श्री यशवंत कुमार जैन, प्रधानाध्यापक	AS 6191	शा.मा.वि.खड़ावदा जिला नीमच	23180505303	मंदसौर
6.	श्री गुसाई गिरारे, सहायक शिक्षक	AC 9197	शा.प्रा.शा.जागपुर (बडा) जिला बालाघाट	23450108901	छिन्दवाडा
7.	श्रीमती अर्चना चंदेल, सहायक शिक्षक	AN 5474	शा.आदर्श प्राथ.शा. मुडवारा बगंवा जिला कटनी	23380215801	जबलपुर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

कृ.पू.उ.

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारियों का जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को भी यह वायित्व होगा कि नवीन जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वे कार्यमुक्त होंगे।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निदेश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कंडिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश


भोपाल, दिनांक 15/06/2010

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./99/2010/4012-

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 38/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला- सागर, इंदौर, सिवनी, जबलपुर, छतरपुर, कटनी, हरदा नीमच, मंदसौर, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा म.प्र।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सागर, इंदौर, सिवनी, जबलपुर, छतरपुर, कटनी, हरदा नीमच, मंदसौर, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा म.प्र।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सागर, इंदौर, सिवनी, जबलपुर, छतरपुर, कटनी, हरदा नीमच, मंदसौर, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./95/2010/4013
/आदेश/

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधा पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती धनेन्द्र कुमार गुरु, सहायक शिक्षक	AO 4260	शा.मो.ने.उ.मा.वि.जिला खंडवा	23290712511	उज्जैन

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करात हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क.प.उ.

पृ. क्रमांक/स्था 3/सी-2/अं.जि.स्था./95/2010/4014
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 1305/रां.मं./स्कू.शि. दि. 14.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-खंडवा एवं उज्जैन म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- खंडवा एवं उज्जैन म.प्र.।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, इंदौर एवं उज्जैन संभाग लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-खंडवा एवं उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अ.जि.स्था./98/2010/4015
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के विन्दु क्रमांक-5 में निहित निर्देशों के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित प्र.अ./उच्च श्रेणी शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-6 में दर्शित जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम एवं संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान पदांकित जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, प्र.अ.शा.मा.शा. नन्हवारा सेझा बड़वारा	AN2641	कटनी	23380304801	उमरिया
2.	श्री बी.एस.स्वर्णकार, उ.श्रे.शि.मा.वि.नीनोर नरसिंहगढ़	AU3137	राजगढ़	23300322101	उज्जैन

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुरस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।




लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./98/2010/4016 भोपाल, दिनांक 15/06/2010
प्रतिलिपि:-


1. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर की ओर अनुमोदन टीप क्रमांक 35 दिनांक 15.06.2010 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कलेक्टर जिला-कटनी, उमरिया, राजगढ़ एवं उज्जैन म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- जयलपुर, भोपाल एवं उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कटनी, उमरिया, राजगढ़ एवं उज्जैन म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सहायक संचालक, समन्वय(स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विष्णु प्रसाद मालवीय, सहायक शिक्षक (विज्ञान)	BE 1693	शास.उ.मा.वि.मड़ाबदा जिला उज्जैन	23210477707	रतलाम
2.	श्रीमती रेहाना सुल्तान, सहायक शिक्षिका	BA 3221	शास.उर्दू मिडिल स्कूल हरायपुरा जिला शाजापुर	23220609402	भोपाल
3.	श्री नितिन कुमार गुप्ता, सहायक शिक्षक	AB 9022	शास.हाईस्कूल गुनहरू मोहसाम, सिहोरा जिला जबलपुर	23390705902	भोपाल
4.	श्री दिनेश कुमार अडावदि ग सहायक शिक्षक	AS 7601	शास.प्रा.वि.लसुडिया जिला नीमच	23180512901	मंदसौर
5.	श्रीमती विष्णुकांता सोलंकी सहायक शिक्षक,	BH 5986	शा.प्रा.वि.बावडिया देवास	23230134328	खरगोन
6.	श्री राधेश्याम भावसार, सहायक शिक्षक	AS 7780	शा.मा.वि.वेसला तह.मनासा संकुल शा.हाईस्कूल बेशला, जिला नीमच	23180500504	मंदसौर
7.	श्री चिन्तामणि पांडेय, प्र.अ.	AC 3544	शा.मा.वि.बमनावर जिला अशोकनगर	23460706403	ग्वालियर
8.	श्री गणेश शंकर अवस्थी शिक्षक	BC 6491	शा.क.उ.मा.वि.देवसर जिला सिंगरौली	23500277768	जबलपुर
9.	श्रीमती विमला त्रिपाठी, सहायक शिक्षक	BE 6532	शा.प्रा.वि.छपरवाह (चंदिआ) जिला उमरिया	23150714301	कटनी
10.	श्रीमती चंदा वर्मा, सहायक शिक्षिका	BS 3882	शा.क.प्रा.शा.मुंगालिया हाट जिला भोपाल	23320200201	राजगढ़
11.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक	अप्राप्त	शा.मा.शा.होलीपुर वि.ख.बुदनी जिला सीहोर	अप्राप्त	शाजापुर
12.	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, सहायक शिक्षक	BE 6639	शा.पू.मा.वि.मझगवां वि.ख.मानपुर जिला उमरिया	23150915207	सतना
13.	श्रीमती शहनाज शेख, सहायक शिक्षिका	AO 1255	शा.क.मा.वि.पंधाना जिला खंडवा	23290812703	रतलाम
14.	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक	AI 1190	शास.प्रा.बा.शा.तेंदूखेडा जिला दमोह	23120500106	जबलपुर
15.	श्री कृष्ण कुमार शांडिल्य, सहायक शिक्षक	AL 4931	शा.प्रा.शा.कालघड जिला हरदा	23360300201	भोपाल
16.	श्रीमती संतोष मालवीय, सहायक शिक्षक,	BA 5242	शास.प्रा.वि.सादलपुर तह सुसनेल जिला शाजापुर	23220304501	उज्जैन
17.	श्रीमती लता वर्मा, सहायक शिक्षक	AO 4287	शास.श्री लाला लाजपत राय, शा. प्रा.शा.क्र-2 जिला खंडवा	23290713701	इंदौर

- 2/ उक्त जिला सवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवाधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।




लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 15/06/2010

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./03/2010/4018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 34/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, देवास, खरगौन, अशोकनगर, ग्वालियर, सिंगरौली, उमरिया, कटनी राजगढ़ सीहोर सतना, खंडवा, दमोह, हरदा, एवं इंदौर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, देवास, खरगौन, अशोकनगर, ग्वालियर, सिंगरौली, उमरिया, कटनी राजगढ़ सीहोर सतना, खंडवा, दमोह, हरदा, एवं इंदौर म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, देवास, खरगौन, अशोकनगर, ग्वालियर, सिंगरौली, उमरिया, कटनी राजगढ़ सीहोर सतना, खंडवा, दमोह, हरदा, एवं इंदौर म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./93/2010/4027
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षकों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती उषा दुबे, सहायक शिक्षिका	AC 2657	शास.क.मा.वि.चंदेरी जिला अशोकनगर	23460510424	इंदौर
2.	श्री सरूप चन्द्र जैन, सहायक शिक्षक	AY 6610	शास.मा.शा.बगरोही, संकुल शा. उ.मा.वि.शाहगढ़ जिला सागर	23110303002	टीकमगढ़

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


अध्यक्ष

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

पु. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./93/2010/4022
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 46/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर,जिला- अशोकनगर, इंदौर, सागर एवं टीकमगढ़ म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर, इंदौर, सागर एवं टीकमगढ़ म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग- ग्वालियर, इंदौर एवं सागर मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, अशोकनगर, इंदौर, सागर एवं टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 10 सहायक संचालक,समन्वय(स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02/2010/4023

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित सहायक शिक्षकों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कांती राठोर, सहायक शिक्षक	AP 4770	शास.क.प्रा.वि.क्र.-7, सनावद बडवाह जिला खरगौन	23271327618	खडवा
2.	श्री श्यामबाबू गुप्ता, सहायक शिक्षक	BG 8901	शास.प्रा.वि.सिंगवारी, मालनपुर, जिला भिण्ड	23030710201	ग्वालियर
3.	श्री सतेन्द्र कुमार राजौरिया, सहायक शिक्षक	BG 5738	शास.प्रा.वि.सर्वोदय गोहद जिला भिण्ड	23030723002	ग्वालियर
4.	श्रीमती सुभाष श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक	BO 1810	शास.सुभाष प्राथमिक विद्यालय आदिवासी पुराना शिवपुरी जिला शिवपुरी	23060104201	ग्वालियर
5.	श्रीमती सीमा बार्नर, सहायक शिक्षक	AZ 3383	शास.क.उ.मा.शा.केवलार जिला सिवनी	23440312517	वैतूल
6.	श्री इकवाल बेग मिर्जा, सहायक शिक्षक	AC 2743	शास.प्राथ.विद्यालय फतेहाबाद दि.खं.चंदेरी जिला अशोकनगर	23460510413	भोपाल
7.	श्रीमती सकीना नजमी, सहायक शिक्षिका	AC 9985	शास.प्रा.शा.भटेरा चौकी जिला बालाघाट	अप्राप्त	भोपाल

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।


5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरंतर...2...

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 15/06/2010

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02/2010/4024
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 31/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-खरगौन, खंडवा, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, सिवनी, बैतूल, अशोकनगर, भोपाल एवं बालाघाट म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-खरगौन, खंडवा, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, सिवनी, बैतूल, अशोकनगर, भोपाल एवं बालाघाट म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-खरगौन, खंडवा, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, सिवनी, बैतूल, अशोकनगर, भोपाल एवं बालाघाट म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./91/2010/4025
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सविता त्रिपाठी, सहायक शिक्षक	BR 4233	शा.पू.मा.वि.जमुआर, शिक्षा संकुल कुनझुनकला जिला सीधी	23170719901	सिगरौली

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व हागा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


निरन्तर...2

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./91/2010/4026
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 41/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला- सीधी एवं सिंगरौली म.प्र।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-सीधी एवं सिंगरौली म.प्र।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सीधी एवं सिंगरौली म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./90/2010/4027
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 15/06/2010


शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती ललिता विश्वकर्मा, सहायक शिक्षक	AC 3992	शा.उ.भा.वि.ईसागढ जिला अशोकनगर	23460714315	राजगढ़
2.	श्रीमती शशिप्रभा शुक्ला प्र.अ.	BE 6758	शास.प्रा.क.शा.कैम्प उमरिया जिला उमरिया	23150715802	रीवा
3.	श्री मनीष शर्मा, सहायक शिक्षक	AK 8461	शास.बा.प्रा.वि.मोहनपुर मुराज जन शिक्षा केन्द्र बडगॉव जिला ग्वालियर	23040406104	भोपाल
4.	डॉ. रामकुमार श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक	अप्राप्त	शा.प्रा.वि.रुणजी, तह.घटिया जिला उज्जैन	अप्राप्त	इंदौर

- उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभारग्रहण कराया जावे।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भू-भाति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के मध्यम से अवगत कराये।
- जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानान्तरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./90/2010/4028
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15/06/2010

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक 40/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-अशोकनगर, उमरिया, रीवा, ग्वालियर, भोपाल उज्जैन एवं इंदौर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-अशोकनगर, उमरिया, रीवा, ग्वालियर, भोपाल उज्जैन एवं इंदौर म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-अशोकनगर, उमरिया, रीवा, ग्वालियर, भोपाल उज्जैन एवं इंदौर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामनारायण शुक्ला, प्रधानाध्यापक	AN 7973	शास.मा.शा.देवसरी गढ़-2 जिला कटनी	23380506701	पन्ना
2.	श्री नगेन्द्र सिंह पुन्डीर, प्रधान पाठक	AE 9152	शास.मा.शा.रमली वि.खं.आमला जिला बैतूल	23350366618	भोपाल
3.	श्रीमती नीलग सक्सेना, सहायक शिक्षिका	AX8462	शा.क.प्राथमिक शाला कटरा वि. खं. एवं जिला सागर	23111077703	छतरपुर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह गली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कण्डिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कृ.पृ.उ.


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./04/2010/4048

भोपाल,दिनांक 15/06/2010

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी.मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर एकल नस्ती 42/रां.मं./स्कू.शि. दि. 15.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला- कटनी, पन्ना, बैतूल, भोपाल, सागर एवं छतरपुर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पं.पायत जिला- कटनी, पन्ना, बैतूल भोपाल, सागर एवं छतरपुर म.प्र.।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर, सागर एवं भोपाल संभाग लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कटनी, पन्ना, बैतूल भोपाल, सागर एवं छतरपुर म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक,समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11.संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश